नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

रूफटॉप सोलर योजना हेतु आवश्यक सलाह/जानकारी

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर अपनी बिजली बनाने हेतु रूफटॉप सोलर योजना (Phase-II) चलाई जा रही है जिसके तहत पहले 3 kW तक 40 % की अनुदान राशि और उसके बाद 3 kW से 10 kW के लिए 20 % तक की अनुदान राशि मंत्रालय द्वारा दी जा रही है। यह योजना स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है

मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है कि कुछ रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनियां / वेंडर्स (vendors) द्वारा स्वयं को मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत (Registered) वेंडर्स बताकर रूफटॉप सोलर प्लांट लगा रहे है। इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय द्वारा किसी भी वेंडर को प्राधिकृत नहीं किया गया है यह योजना केवल राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है जिसके तहत विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निविदा (Tender) प्रक्रिया द्वारा वेंडर्स का चयन कर सूचीबद्ध किया जाता है तथा रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की दर निर्धारित की जाती है।

लगभग सभी विद्युत वितरण कंपनियों ने इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है। रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के इच्छुक घरेलू उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सूचीबद्ध वेंडर्स द्वारा रूफटॉप सोलर प्लांट लगवा सकते हैं इसके लिए उन्हें केवल निर्धारित दर के अनुसार कुल कीमत में से मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि घटाकर शेष राशि का ही भुगतान वेंडर्स को करना है जिसकी प्रक्रिया विद्युत वितरण कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई है। अनुदान की राशि वेंडर्स को मंत्रालय द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से दी जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाती है कि मंत्रालय की योजना के तहत अनुदान पाने के लिए वे केवल विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निर्धारित वेंडर से ही रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाए।

निर्धारित वेंडर्स द्वारा लगाए जाने वाले सोलर पैनल एवं अन्य उपकरण मंत्रालय के मानक एवं विनिर्देशों के अनुसार होंगे तथा इसमें वेंडर्स द्वारा रूफटॉप सोलर प्लांट का 5 साल का रखरखाव भी शामिल है।

मंत्रालय के ध्यान में यह भी लाया गया है कि कुछ वेंडर्स घरेलू उपभोक्ताओं से निर्धारित दरों से ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं जो कि गलत है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें। विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देश दिए गए है कि वे ऐसे वेंडर्स की पहचान कर दंडित करें।

अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित विद्युत वितरण कंपनी से संपर्क करें अथवा MNRE का टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 डायल करें। अपनी विद्युत वितरण कंपनी का ऑनलाइन पोर्टल जानने के लिए https://solarrooftop.gov.in/grid_others/discomPortalLinks पर क्लिक करें।

Ministry of New and Renewable Energy

Advisory on rooftop solar scheme

To generate solar power by installing solar panels on the roof of the houses, Ministry of New and Renewable Energy, Government of India is implementing Grid-connected Rooftop Solar Scheme (Phase-II). Under this scheme Ministry is providing 40% subsidy for the first 3 kW and 20% subsidy beyond 3 kW and upto 10 kW. The scheme is being implemented in the states by local Electricity Distribution Companies (DISCOMs).

It has been brought to the notice of the Ministry that some rooftop solar companies / vendors are setting up rooftop solar plants by claiming that they are authorized vendors by the Ministry. It is clarified that no vendor has been authorized by the Ministry. This scheme is being implemented in the state only by DISCOMs. The DISCOMs have empanelled vendors through bidding process and have decided rates for setting up a rooftop solar plant.

Almost all the DISCOMs have issued online process for this purpose. Residential consumers willing to set-up a rooftop solar plant under MNRE scheme can apply online and get rooftop solar plants installed by listed vendors. For this, they have to pay the cost of rooftop solar plant by reducing the subsidy amount given by the Ministry as per the prescribed rate to the vendor. The process of which is given on the online portal of the DISCOMs. The subsidy amount will be provided to the vendors by the Ministry through the DISCOMs. Domestic consumers are informed that to get subsidy under the scheme of the Ministry, they should install rooftop solar plants only from the empanelled vendors of the DISCOMs following due process of approval by DISCOMs.

The solar panels and other equipment to be installed by the empanelled vendors shall be as per the standard and specifications of the Ministry and also includes 5-year maintenance of the rooftop solar plant by the vendor.

It has also been brought to the notice of the Ministry that some vendors are charging more price than the rates decided by DISCOMs from domestic consumers, which is incorrect. Consumers are advised to pay only according to the rates decided by DISCOMs. The DISCOMs have been instructed to identify and punish such vendors.

For more information, contact the concerned DISCOM or dial MNRE's toll free number 1800-180-3333. Click on https://solarrooftop.gov.in/grid_others/discomPortalLinks to know the online portal of your DISCOM.